न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 24/2025

बउनवान

जीतपाल सिंह राजपूत आयु 32 वर्ष पुत्र श्री रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जैपला, तहसील छबडा, जिला बारां, राज० एफपीएस कोड 28640

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 22(A) राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बनाराजगी निर्णय व आदेश दिनांक 25.04.2025 विभागीय प्रकरण संख्या 62/2024 कार्यालयं जिला रसद अधिकारी–बारां, बउनवान राजस्थान सरकार बनाम जीतपाल सिंह राजपूत पोस कोड –28640

उपस्थिति :–1.श्री गजेन्द्र पंचौली, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 12.12.2025

जिला कलक्टर बारां (राज०)

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा NFSA गेहूँ 359 किवं0 400 ग्राम का दुरूपयोग/गबन किया जाना मानकर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल व त्रुटि की है क्योकि अपीलान्ट द्वारा 359.59 किंव० मे से 280 किव. NFSA गेहूँ पोश मशीन 8582 द्वारा बांटा गया एवं मशीन रसद विभाग के कार्यालय छबडा में जमा करवा दी थी जिसकी स्टेटमेन्ट की प्रति सलग्न हैं एवं अटेचमेन्ट डीलर हजारी लाल लोधा एफपीएस डीलर बापचा को शेष स्टॉक सम्मला दिया था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना की है क्योकि प्रकरण में पारित निर्णय व प्रकरण मे तारीख पेशीयो पर अंकित आर्डरशीटों ने विरोधाभाष है जिससे निर्णय व आदेश की पुष्टि नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 6.11.2025 को हाजिर होने का नोटिस दिया गया परन्तु इससे पहले ही दिनांक 25.04.2025 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट ने प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के किसी भी शर्त का उल्लघंन नही किया। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसंद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 62/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2025 को निरस्त कर अपीलांट के प्राधिकार पत्र संख्या 21/2012 को बहाल करने की कृपा करे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

गेहूँ तत्काल जमा करवाकर हस्तान्तरण करवाया जावे। अन्यथा पी0डी0आर0 एक्ट

3— दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा आक्षेपित 359.59 किंव० मे से 280 किव. NFSA गेहूँ पोश मशीन 8582 द्वारा बांटा गया एवं मशीन रसद विभाग के कार्यालय छबडा में जमा करवा दी थी जिसकी स्टेटमेन्ट की प्रति सलग्न हैं एवं अटेचमेन्ट डीलर हजारी लाल लोधा एफपीएस डीलर बापचा को शेष स्टॉक सम्मला दिया था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवंहेलना की है। अतः अपील स्वीकार कर जिला रसंद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 62/2024 में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2025 को निरस्त कर अपीलांट के प्राधिकार पत्र संख्या 21/2012 को बहाल करने की कृपा करे।

4— बहस के दौरान पेरोकार रसद ने निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलांट ने जवाब भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अंतिम नोटिस दिनांक 10.01.2025 को जारी किया गया। अपीलांट व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर बारां
जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 11:13:23 IST
Reason: SelfAttested